जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

- **परिचय**
- **समिति की संरचना**
- **समिति के कार्य**
- **प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश**

परिचय

भारत सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाते हुए 8 अप्रैल, 1993 से विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की एक पूर्ण विकसित व्यवस्था आरंभ की गई। कृषि संबंधी स्थायी समिति विभागों से संबद्ध 17 स्थायी समितियों में से एक थी। स्थायी समिति प्रणाली का जुलाई, 2004 में पुनर्गठन किया गया जिसके तहत् विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों (डीआरएससी) संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। कृषि संबंधी स्थायी समिति को दो समितियों अर्थात् (एक) कृषि संबंधी स्थायी समिति और (दो) जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति में विभाजित कर दिया गया। जल संसाधन से संबंधित सभी मुद्दों पर पूर्णत: ध्यान केन्द्रित करने हेतु पहली बार 5 अगस्त, 2004 को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ग के अंतर्गत विशिष्ट रूप से एक स्थायी समिति का गठन किया गया। इस समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग आते हैं:-

जल संसाधन मंत्रालय

(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, और

(ख) पेयजल और स्वच्छता विभाग

समिति की संरचना

समिति में 31 सदस्य होते हैं। इसमें 21 सदस्य लोक सभा के और 10 सदस्य राज्य सभा के होते हैं जिन्हें क्रमश: लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है। किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता। समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति में लोक सभा के सदस्यों में से की जाती है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता।

समिति के कार्य

समिति, अपने क्षेत्राधिकार के अधीन उक्त मंत्रालयों/विभागों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करती है:-

(क) अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ख) ऐसे विधेयकों की जांच करना जो अध्यक्ष, लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा जैसा भी मामला हो, द्वारा समिति को सौंपे गए हैं और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; तथा

(घ) दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार करना, यदि उन्हें अध्यक्ष, लोक सभा या सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो द्वारा समिति को भेजा गया हो और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें उनके प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट होती हैं जिन्हें समिति द्वारा स्वीकार किए जाने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के उपरांत समिति के सभापति अथवा प्राधिकृत सदस्य द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है/राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदनों के साथ समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश भी सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

जब तक संबंधित प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत नहीं कर दिये जाते, तब तक समिति की कार्यवाही, प्रारुप प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश गोपनीय माने जाते हैं।